श्रीमती सुगनी देवी बनाम राज.सरकार

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्षकारान उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद का निस्तारण हो चुका हैं चूँकि यह अपील 225 राज. काश्तकारी अधिनियम की है। जो सारहीन हो चुकी हैं इसलिए खारिज फरमायी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। यह अपील 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है। जो सारहीन हो चुकी हैं इसलिए खारिज योग्य हैं।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।